न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/345

उदयराज उर्फ उदयलाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. योगेन्द्र आत्मज जोधराज जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली जाटों की तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वह ताकत के बल पर वादी के खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दीगोद के यहॉ एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था उक्त वाद में पटवारी हल्का के मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें भी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एकमात्र वादी का बताया गया है । इस प्रकार वादी उक्त भूमि को रिकॉर्डेड खातेदार है और प्रतिवादी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

तः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी की भूमि पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं करे और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त भूमि वादी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और अपीलान्ट उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । उक्त भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा कर गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग लेने का प्रयास किया गया जिस पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के यहॉ पर अन्तर्गत धारा 183 की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जिस पर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 द्वारा दिनांक 09.12.2005 को गुणावगुण पर अवलोकन कर उक्त भूमि से भू माफियाओं को बेदखल कर कब्जा वादी अपीलान्ट को दिये जाने का आदेश पारित किया । उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पिता को बेदखल कर दिया उसके पश्चात् वह वादी से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये जिससे वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की उपस्थिति में न तो कोई मौका रिपोर्ट तैयार की गई और न ही अपीलान्ट को मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान किया । प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए बिना सूचना एवं बिना नोटिस दिये ही अपीलान्ट के विरूद्ध कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 निरस्त फरमाया जावे।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर मकानात बने हुए हैं । रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि जरिये इकरारनामा क्रय की है उक्त इकरारनामा दिनांक 24.03.1992 का है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि उसने अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया है – उक्त आदेश रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध नहीं है और न ही उनके पिता के विरूद्ध किया है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का काफी वर्षो से कब्जा है और अपीलान्ट जो कि उक्त भूमि का विक्रेता है को अब उक्त भूमि में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित किया है उसके पक्षकारान उपस्थित रहे हैं और दोनों की उपस्थिति में ही उक्त निर्णय एंव डिक्री

है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज एवं गवाह बयानों से साबित है कि वादग्रस्त आराजी को खातेदार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को बेचान कर दिया गया है जिस पर क्रेतागण द्वारा मकानात आदि बनाये हुए हैं जिसे अपीलान्ट अपनी बहस में स्वीकार करता है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई थी उक्त मौका रिपोर्ट में भी अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर मकानात बने हुए हैं । ऐसी स्थिति में पूर्णतया साबित है उक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट का कब्जा नहीं है और उक्त भूमि पर मकानात बने हुए हैं । इस प्रकार वादी अपीलान्ट अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को साबित नहीं कर पाये हैं ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

पील संख्या : 16/345

उदयराज उर्फ उदयलाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

—अपीलार्थी

1. योगेन्द्र आत्मज जोधराज जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली जाटों की तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय एवं पदेनं सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

त वाद संख्याः 26/दावा/2013

उदयराज उर्फ उदयलाल आत्मज श्री प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. योगेन्द्र आत्मज जोधराज जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली जाटों की तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद, जिला कोटा . के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 .की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.10.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री बृजनारायण शर्मा उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 09.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा